तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
1/3/25	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक ---- 1-4-25 ---- को पेश हो
1/4/25	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक ---- 1-5-25 ---- को पेश हो
1/5/25	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी / प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक ....31/07/25.... को पेश हो।
31/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप०। इजराय पालना प्राप्त हुई। जो शामिल फाईल की जाती है पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से संख्या से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)

न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प दीगोद, जिला कोटा

	तारीख फैसला
दायरा 2022	09.12.2023

मदनलाल उर्फ गोपाल आत्मज माधो जाति भील निवासी नृसिंहपुरा तहसील दीगोद . (वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा (प्रतिवादीगण)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 रा0 टीनेन्सी एक्ट बाबत इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थितः–
वादीगण की ओर से :– श्री रामबाबू दाधिच
प्रतिवादीगण की ओर से :– तहसीलदार दीगोद

:– निर्णय :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम नृसिंहपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा मे वादी के खाते में खाता संख्या 21 नया 25 पुराना की खसरा नम्बर 102/240 रकबा 0.45 है0, रकबा 0.31 है0, 106 की 1.15 है0, 107 की 0.83 है0, 108 की 1.25 है0, 109/ 2 की 1.10 है0, 109/243 की 2.24 है0, 160 की 0.15 है0, 211 की 0.87 है0, 9 की 1.84 है0, कुल किता 10 रकबा 10.19 है0 तथा ग्राम नृसिंहपुरा की खाता संख्या 22 नया 26 पुराना की खसरा नम्बर 106/253 रकबा 0.56 है0 कुल किता 1 रकबा 0.56 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। जिसमे वादी का नाम गोपाल पुत्र माधो दर्ज है। यह कि उक्त आराजी में वादी का नाम गोपाल दर्ज कर दिया कि वादी का नाम मदनलाल पुत्र माधो है। जिससे वादी को सरकारी योजना व किसान केडिट कार्ड आदि लेने में परेशानी आ रही है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। यह कि उक्त वादी का आधार कार्ड, पेन कार्ड बैंक डायरी आदि मे मदनलाल पुत्र माधो है। अतः वादी ने निवेदन किया है कि उक्त भूमियात राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गोपाल पुत्र माधो के स्थान पर मदनलाल पुत्र माधो दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तपली विधिवत करवायी गई।

3. प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा मे गोपाल पुत्र माधो एव मदनलाल पुत्र माधो हल्का नीमोदा की रिपोर्ट अनुसार एक ही व्यक्ति है। अतः उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में गोपाल के स्थान पर मदनलाल दर्ज करने की अनुशंषा की जाती है।

फोटो प्रति प्रमाणित
सहायक कलक्टर
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति तालुका
दीगोद जिला कोटा (राज.) दीगोद जिला कोटा (राज.)

4. वादनी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित बिन्दूओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम नृसिंहपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के खाते में खाता संख्या 21 नया 25 पुराना की खसरा नम्बर 102/240 रकबा 0.45 है0, 105 रकबा 0.31 है0, 106 की 1.15 है0, 107 की 0.83 है0 108 की 1.25 है0, 109/242 की 1.10 है0, 109/243 की 2.24 है0, 160 की 0.15 है0, 211 की 0.87 है0, 97 की 1.84 है0 कुल किता 10 रकबा 10.19 है0 तथा ग्राम नृसिंहपुरा की खाता संख्या 22 नया 26 पुराना की खसरा नम्बर 106/253 रकबा 0.56 है0 कुल किता 1 रकबा 0.56 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम गोपाल अंकित है जो कि गलत है। वादी का ही नाम मदनलाल है। अतः वादी का नाम उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में गोपाल के स्थान पर मदनलाल दर्ज किया जावे।

5. वादनी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंद ग्राम नृसिंपुरा सम्वत 2074–77, छायाप्रति राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ग्राम पंचायत का प्रमाण पेश किये गये।

6. प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद ने बहस के दौरान स्वयं उपस्थित होकर जवाब दावा में अंकित बिन्दूओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादी नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करने में किसी प्रकार की आपत्ति नही होना अंकित किया है।

7. प्रकरण में वादीगण के पक्ष के अधिवक्ता की बहस तथा प्रस्तुत जवाब सरकार एवं राजस्व रिकार्ड एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का गहन अध्ययन अवलोकन किया गया। पेश दस्तावेज व मौखिक साक्ष्य के अधार पर उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गोपाल के स्थान पर मदनलाल किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. अतः वादनी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम नृसिंहपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा मे वादी के खाते में खाता संख्या 21 नया 25 पुराना की खसरा नम्बर 102/240 रकबा 0.45 है0, 105 रकबा 0.31 है0, 106 की 1.15 है0, 107 की 0.83 है0, 108 की 1.25 है0, 109/242 की 1.10 है0, 109/243 की 2.24 है0 160 की 0.15 है0, 211 की 0.87 है0, 97 की 1.84 है0, कुल किता 10 रकबा 10.19 है0 तथा ग्राम नृसिंहपुरा की खाता संख्या 22 नया 26 पुराना की खसरा नम्बर 106/253 रकबा 0.56 है0 कुल किता 1 रकबा 0.56 है0 भूमि में वादी का नाम गोपाल के स्थान पर मदनलाल दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार एवं नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद मे मजमें आम में सुनाया गया।

फोटो प्रति प्रमाणित

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)
राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला कोटा

FOR COPYING FEES ONLY
FOR COPYING FEES ONLY